ई- 1722669

प्रेषक,

संजय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
रायबरेली।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनाक: 28-06-2023*

विषय- जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी सूरजवती पत्नी स्व0 स्वामी प्रसाद त्रिपाठी, निवासी जनपद-रायबरेली को पति के दसवां एवं तेरहवीं संस्कार में सम्मिलित होने हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-601/जि0प्रो0/पैरोल/2023-24, दिनांक 20-06-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973(1974 का एक्ट संख्या-2) की धारा-432 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी सूरजवती पत्नी स्व0 स्वामी प्रसाद त्रिपाठी, निवासी ग्राम-पूरे घासी खालेहार, थाना-जगतपुर, जनपद-रायबरेली को पति के दसवां एवं तेरहवीं संस्कार में सम्मिलित होने हेतु 10 दिन के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देते है कि महिला बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में शांति बनाये रखने तथा अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए आपकी संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे तथा उक्त बंदी के विरूद्ध अन्य कोई मुकदमा किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो इसे सुनिश्चित कर लिया जाय तथा बंदी का जेल आचरण संतोषजनक हो। पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि को बंदी द्वारा काटी गयी सजा में नहीं जोड़ा जायेगा।

2- यदि महिला बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो उक्त बंदी तथा उसके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय। बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में अपने निवास स्थान के थाना में अपनी उपस्थिति की सूचना देती रहेगी।

3- महिला बंदी को यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यदि वह स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को जेल में वापस नहीं आती है तो उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पाने का अधिकारी न होगी।

4- यह आदेश जारी होने के दिनांक से छ: माह तक मान्य होंगे।

5- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि महिला बंदी के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर रिहा किये जाने तथा उक्त बंदी के जेल में हाजिर होने की तिथि, शासन तथा महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 को रेडियोग्राम द्वारा उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।